न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–131/2015

CIS NO. TS.-279/2018

कृपा मिश्र...वादी

बनाम

विरेन्द्र मिश्र...प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
02.06.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज आवेदकगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.03.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 01 नियम 10(2) एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** आवेदकगणों का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी कृपा मिश्र की मृत्यु दिनांक 18.01.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत वादी कृपा मिश्र के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे आवेदनानुसार विधिक वारिसानों को छोडकर मरे है। अतः वादपत्र से वादी कृपा मिश्र का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगणों के द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र वादी कृपा मिश्र की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादी भी स्वीकार करता है। आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है। आवेदकगण का आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में आवेदकगणों का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत वादी कृपा मिश्र का नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–131/2015

CIS NO. TS.-279/2018

लगातार **02.06.2023**	प्रतिनिधियों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 27.07.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	